मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी/3-22/93/3/एक

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त, 1993

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों की आरंभिक भरती के पश्चात् उनके अपात्र अथवा अयोग्य पाए जाने की स्थिति में, उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही.

शासन के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि क्या किसी शासकीय सेवक के बारे में यह पता लगने पर कि वह सेवा में अपनी आरंभिक नियुक्ति के लिये अर्ह अथवा पात्र नहीं था, उसे सेवा से हटाया जा सकता है?

2. इस विषय वस्तु के बारे में भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) ने परीक्षण कर सम्यक् निर्देश प्रसारित किए हैं, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा, जिलाधीश विजयनगरम बनाम एम. त्रिपुर सुन्दरी देवी [1990 (4) एस. सी. आर. 237] में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किये गये है. अतः इस विषय के बारे में राज्य शासन भी निम्नलिखित निर्देश प्रसारित करता है:—

(अ) जहां कहीं भी यह पाया जाए कि कोई शासकीय सेवक भरती नियमों आदि की शर्तों के अनुसार सेवा में प्रारंभिक भरती के लिये अर्ह या पात्र नहीं था अथवा नियुक्ति प्राप्त करने के लिये उसने झूठी सूचना दी थी या झूठा प्रमाण-पत्र प्रसुतत किया हो तो उसे सेवा में बनाये नहीं रखा जाना चाहिये.

(ब) ऐसा शासकीय सेवक यदि परिवीक्षाधीन या अस्थायी है तो उसे सेवामुक्त (Discharge) कर दिया जाए या उसकी सेवाएं समाप्त (Terminate) कर दी जाए.

(स) यदि ऐसा शासकीय सेवक स्थायी हो गया हो तो म. प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 में निर्धारित जांच कराई जाए एवं आरोप सिद्ध होने पर उसे सेवा से हटाया (Remove) या बर्खास्त (Dismiss) कर दिया जाए. किसी भी दशा में कोई अन्य शास्ति नहीं दी जाए.

(द) तथापि इस प्रकार सेवामुक्त करने/सेवा समाप्त करने/सेवा से हटाने या बर्खास्त करने से ऐसे शासकीय सेवक पर अभियोजन चलाने के सरकार के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

हस्ता./-
(सुषमा नाथ)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.